



लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली


17 / 2020

तारीखरजु:- 6-5-2020

उनवान:- करणसिंह बनाम ज्ञानसिंह


प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

| 20 | <p>फर्द अहकाम</p> <p>प्रार्थी की और से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 10.07.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p> | <p style="text-align: center;">2154-56 6/7/2020</p> |
|---------|--|---|
| 10/7/20 | <p>प्रार्थी वकील उप0। अपार्थी नं. 1, 2 की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा AN ने वकालतनामा पेश किया अपार्थी नं. 3 का पत्र सूचना उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है जल्द पेश करने दिनांक 15.7.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p> | |
| 15.7.20 | <p>वकील समय पत्र उपस्थित। वकील अपार्थीगण ने जवाब पेश करने का समय पार। वकील अपार्थीगण ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर बहल करने का कथन किया। वकील प्रार्थी ने विवादित अपार्थी प्राप्त के विधिवत बंधन न होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाये। वकील अपार्थी ने सहले निषेधाज्ञा नहीं करने का कथन किया। प्रार्थी वकील प्रस्तुत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये। अस्थाई निषेधाज्ञा दस्तावेजों का इवलीफ्ट किया। अपार्थी के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा तह अपार्थी सुनवाई निधी तह पाबन्द किया जाता है कि गुम इंगापुरा तहसील टोडाभीम स्थित अग्नि खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.30 है।</p> | |


 उप जिला कलक्टर
 टोडाभीम (करौली)

यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

| क्र | फर्द अहकाम |
|---------|--|
| 27.2.20 | <p>वकुलाय उप०। अग्रणीगण की ओर से श्री रामशरिणी गुला A/W से आ वकालतनामा पेश किया। P.O. साइट करीली की ओर से म पघोर है। गतानुसार दिनांक 4-8-20 को पेश हो।</p> |
| 4-8-20 | <p>वकील अग्रणी उप०। अग्रणी उप०। इनकी ओर से गत० न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर से मिलत तालवी फरद दस्तौ पेश किया। P.O. धी० अवकाश पत्र पघोर की ओर से अग्रिम कादेश दिनांक 13-8-20 को पेश हो।</p> |
| 13-8-20 | <p>वकील उभय पक्ष उपस्थित। अग्रणी स्वयं उपस्थित। इस अर्चना पत्र से संबंधी मूल राग विद्धो करते हुए खारिज हो गया है। इस लिए इस अर्चना पत्र अस्पष्ट निवेधाना म कार्यवाही जारी नहीं करी जा सकती है। अतः यह अर्चना पत्र अस्पष्ट निवे० खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर जम्बर से का होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> |


 (दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपसप्ट अंशकारी टोडाभीम
 जिला-करीली

अग्रणी संघ
 Tol
